कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 916 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: 10 सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत चोपता डडुवागाड़ गोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– उप सचिव, वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– संख्या–1043/X-3-20/1(116)/2020 दिनांकः–02.09.2020 ।(प्रति संलग्न) FP/UK/ROAD/41895/2019

महोदय,

कृपया शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 429/12–1 दिनांक 30.07.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	शर्त सं0 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास स्थानों एवं उनके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंभावित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आर0टी0जी0एस0बी0आई0एन0 421154171249 दिनांक 02.06.2021 के माध्यम से रू0 1,33,100.00 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। जमा धनराशि का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न–1)
2.	शर्त सं0 02 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लखित दरों के अनुसार कुल धनराशि रू0 2,65,428.00 जमा की जानी है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आर0टी0जी0एस0बी0आई0एन0 42115417249 दिनांक 02.06.2021 के माध्यम से रू0 2,65,428.00 की धनराशि जमा की जा चुकी है।
3.	शर्त सं0 03 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर से बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–2)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 058.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी विधियो प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधित प्रबन्धन तथा योजना (कैम्पा) प्राधिकरण के तदर्थ निकाय खाता सं0 037100101025229 कापारेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स फेज –1 लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या(जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो)उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका है। (संलग्नक–1 के अनुसार)

5.	शर्त सं0 05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियो एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6.	शर्त सं0 07 प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक/ अभिलेखों /प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रो की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
7.	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्तो का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकारी सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति मे सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है। तथा विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में सभी शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। स्वीकार है।
8.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम मे विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या– 916 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 794/36C दिनांक 31/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक सं0 1607/36सी0 दिनांक 10.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित है–

क्रम सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	आर0टी0जी0एस0 SBIN421154171249 दिनांक 02.06.2021 के माध्यम से रू0 1,33,100.00(एक लाख तैतीस हजार एक सौ) की धनराशि जमा करा ली गई है। (संलग्न पेज सं०–1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0 556 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	आर0टी0जी0एस0 SBIN421154171249 दिनांक 02.06.2021 के माध्यम से रू0 2,65428.00(दो लाख पैसठ हजार चार सौ अठ्ठाइस) की धनराशि जमा करा ली गई है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली'110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैक ड्राप्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन	अनुपालन कर लिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

	आख्या(जिसमे जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	उक्त मोटर मार्ग निर्माण के समय भू-वैज्ञानिक द्वारा किये गये सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में सभी शर्तो अनुपालन किया गया है। तथा विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में सभी शर्तो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। स्वीकार है।
8	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	मान्य है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार - 3-3 प्रति

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली

पत्रांक /36 सी0 दिनांकित / /

प्रतिलिपिः- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0
थराली चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

सलंग्नक 1

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-05-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6141895542
MoEF/SG File No	1(116)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	TharaliChamoli
Amount(in Rs)	398528/-

Amount in Words: :Three Lakh Ninety-Eight Thousand Five Hundred and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code	UBIN0903710
Pay to Account No.	1508961411895542 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

UTR → SBIN421154171249.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may Email : helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through chal even after 7 working days, then kindly mail a copy of y Email: cb0371@unionbankofindia.com

Executive Engineer
Cont. Divl. - P.W.D
Tharali (Chamoli)

Mobile no. 9837265133

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, थराली (चमोली)

Attachement 2.37

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 हे0 सिविल, कुल 0.404 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

खण्डीय अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

Attachement 1.6

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No--- Dated-01/08/19

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.404 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Chopta to Dadugad Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Tuneda, Rains village (s) in Narayanbagar tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.404 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to .....annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(....जिला अधिकारी....)
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (A)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ~~Sri~~ Swati S. Bhadoriya deputy commissioner, on dated 01/8/19 at time 2:30 PM at Chamoli in which application claiming rights in Tuneda, Rains area measuring 0.404 hect for the Construction of Chopta to Dadugad Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Narayanbagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Gopeshwar

Dated: 01/08/19

(जिला अधिकारी चमोली)

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :— विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 हे0 सिविल, कुल 0.404 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नारायणबगड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...थराली........

उपखण्ड ....थराली.......... परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.404 हे0 (हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.404 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.404 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नारायणबगड़) की दिनांक ...08/07/19....... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....किशन सिंह नेगी...., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ....[signature]....उपजिलाधिकारी ——————————अध्यक्ष

2– श्री ....अमरेश कुमार....उप प्रभागीय वनाधिकारी——————————सदस्य

3– श्री ....विपिन रावत....सहायक समाज कल्याण अधिकारी–सदस्य/सचिव

4– श्री ....हरेन्द्र सिंह नेगी....बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————————सदस्य

5– श्री....श्रीमती कलावती देवी....बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————————सदस्य

6– श्री ....बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————————सदस्य

[Stamps: उप जिला अधिकारी थराली; सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड–थराली/देवाल चमोली; प्रमुख क्षेत्र पंचायत विo खo नारायणबगड़ जनपद–चमोली]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किविकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 0.404 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ....घराली..........परिक्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.404 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – नारायणबगड़
जनपद – चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – नारायणबगड़
जनपद – चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :– विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 हे0 सिविल, कुल 0.404 ... हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — तुनेड़ा

तहसील — , जनपद — चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग हेतु (0.404 हे0 सिविल, भूमि) अर्थात कुल 0.404 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तुनेड़ा द्वारा दिनांक 22/2/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्राम तुनेड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत तुनेड़ा
हे0 ...

दिनांक 22/02/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तुनेड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	विजय सिंह S/o लक्ष्मण सिंह	विजयसिंह
	सुजान सिंह S/o गंगा सिंह	सुजानसिंह
	गजपाल सिंह S/o धन सिंह	गजपालसिंह
	दिगम्बर सिंह S/o सुरेन्द्र सिंह	दिगम्बर सिंह
	भूपेन्द्र सिंह S/o जयवीर सिंह	[illegible]
	हरेन्द्र सिंह S/o दिवान सिंह	हरेन्द्र सिंह
	सतीश कुमार S/o बालम सिंह	[illegible]
	बल्लीलाल S/o बिल्टू लाल	

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत तुनेड़ा

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :— विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 हे0 सिविल, कुल 0.404 .... हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – रैंस

तहसील – , जनपद –

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग हेतु (0.404 हे0 सिविल, भूमि) अर्थात कुल 0.404 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रैंस .... द्वारा दिनांक 26/02/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रैंस .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

(मुहर: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ... चोपता, वि0 ख0 नारायणबगड़, जिला चमोली)

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ..., वि0 ख0 नारायणबगड़ (चमोली))

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत रैंस, ह0 Rajani, दि0 ......, वि0ख0 नारायणबगड़ (चमोली))

दिनांक 26/1/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लोदला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गम्भीरसिंह S/o अब्बलसिंह	Gambhirsingh
2-	दीपा देवी W/o मनोहरसिंह	दीपा देवी
3-	तेजपाल सिंह S/o बलवन्तसिंह	तेजपाल
4-	रामप्रसाद S/o बच्चीराम	रामप्रसाद
5	नन्दराम S/o शिवराम	नन्दराम
6-	प्रकाशचन्द्र S/o उर्वीदत्त	PJoshi
7-	सरस्वती देवी W/o राजेन्द्रप्रसाद	सरस्वती देवी
8-	सरिता देवी W/o भगवती प्रसाद	सरिता देवी
9-	मधुसूदन S/o दयाराम	Madhusudan
10-	सुनीलप्रसाद S/o लीलानन्द	Sunil
11-	सम्पूर्णानन्द S/o शालिकराम	Sampurnanand
12	जगदीश प्रसाद S/o बच्चीराम	JPJoshi
13-	रमेश चन्द्र S/o इन्द्रमणि	रमेशचन्द्र
14-	राजीवप्रसाद S/o वंशीधर	[illegible]
15-	दिनेश चन्द्र S/o जन्तराम	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
ह0 Rajani
दि0 ......

ह0 [illegible]
ग्राम प्रधान
दि0 ......
ग्राम पंचायत लोदला